रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 2015/अग्रहायण 11, 1937
No. 745] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2015/AGRAHAYANA 11, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2015

आयकर

सा.का.नि. 923(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 282 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (अठारहवाँ संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 126 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"सूचना, समन, अध्यपेक्षा, आदेश और अन्य संसूचना की तामील।

127.(1) धारा 282 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, पता (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिकी मेल या इलैक्ट्रानिकी मेल मैसेज के लिए पता भी है) जिस पर अधिनियम के अधीन किसी सूचना या समन या अध्यपेक्षा या आदेश या किसी अन्य संसूचना (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् "संसूचना" कहा गया है) का उपनियम (2) के अनुसार परिदान या पारेषण किया जा सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पता निम्नलिखित के लिए होगा,--

(क) धारा 282 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित रीति में परिदान की गई या पारेषित सूचनाओं के लिए—

(i) संबोधिती के पैन डाटा बेस में उपलब्ध पता ; या

(ii) आयकर विवरणी, जिससे संसूचना संबंधित है, में उपलब्ध पता ; या

(iii) संबोधिती द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर विवरणी में उपलब्ध पता ; या

(iv) संबोधिती के कोई कंपनी होने की दशा में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

परंतु मद (i) से मद (iv) में वर्णित पते पर किसी संसूचना का परिदान या पारेषण वहां नहीं किया जाएगा, जहां संबोधिती ने आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को संसूचना जारी करने के लिए संसूचना के प्रयोजन के लिए लिखत में कोई अन्य पता प्रस्तुत किया है ;

(ख) इलैक्ट्रानिकी रूप से परिदत्त या पारेषित संसूचनाओं के लिए,--

(i) आयकर विवरणी, जिससे संसूचना संबंधित है, में उपलब्ध ई-मेल ; या

(ii) संबोधिती द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल ; या

(iii) संबोधिती के कोई कंपनी होने की दशा में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का ई-मेल ; या

(iv) संबोधिती द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे आयकर प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया ई-मेल ।

(3) प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणालियां) या महानिदेशक, आयकर (प्रणालियां) इलैक्ट्रानिकी संसूचना के सुरक्षित पारेषण का सुनिश्चय करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा वह ऐसी संसूचना के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुन: प्राप्ति नीतियों की विरचना और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा ।"

[अधिसूचना सं. 89/2015/फा.सं. 133/79/2015-टीपीएल]

एकता जैन, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2877(अ) तारीख 20 अक्टूबर, 2015 को (सत्रहवाँ संशोधन) नियम द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2015

Income-tax

G.S.R. 923(E).—In exercise of the powers conferred by section 282 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax **(18th Amendment)** Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 126, following rule shall be inserted, namely:-

"**Service of notice, summons, requisition, order and other communication.**

127. (1) For the purposes of sub-section (1) of section 282, the addresses (including the address for electronic mail or electronic mail message) to which a notice or summons or requisition or order or any other communication under the Act (hereafter in this rule referred to as "communication") may be delivered or transmitted shall be as per sub-rule (2).

(2) The addresses referred to in sub-rule (1) shall be-

(a) for communications delivered or transmitted in the manner provided in clause (a) or clause (b) of sub-section(1) of section 282-

(i) the address available in the PAN database of the addressee; or

(ii) the address available in the income-tax return to which the communication relates; or

(iii) the address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or

(iv) in the case of addressee being a company, address of registered office as available on the website of Ministry of Corporate Affairs:

Provided that the communication shall not be delivered or transmitted to the address mentioned in item (i) to (iv) where the addressee furnishes in writing any other address for the purposes of communication to the income-tax authority or any person authorised by such authority issuing the communication;

(b) for communications delivered or transmitted electronically-

(i) email address available in the income-tax return furnished by the addressee to which the communication relates; or

(ii) the email address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or

(iii) in the case of addressee being a company, email address of the company as available on the website of Ministry of Corporate Affairs; or

(iv)any email address made available by the addressee to the income-tax authority or any person authorised by such income-tax authority.

(3) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedure, formats and standards for ensuring secure transmission of electronic communication and shall also be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to such communication."

[Notification No. 89/2015/ F. No. 133/79/2015-TPL]
EKTA JAIN, Dy. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (17thAmendment) Rules, 2015 vide notification S. O. No. 2877(E) dated 20th October, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.